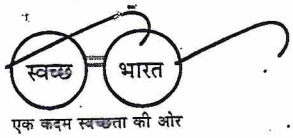

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्थापना–2017

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन

(ऑडिट रिपोर्ट)

वर्ष 2019–20

नगर निगम लेखा नियमावली के नियम
77 के अन्तर्गत प्रस्तुत

संजय प्रताप सिंह
मुख्य नगर लेखा परीक्षक

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019–20
(1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च 2020 तक)

भाग प्रथम

(इस भाग में लेखा नियमावली के नियम–77 के अनुसार अनिस्तारित विशेष एवं साधारण आपत्तियां प्राविधिक अनियमिततायें एवं त्रुटियां तथा सामान्य प्रशासन का उल्लेख है।)

1–प्रारम्भिक

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली कि नियम–77 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दो भागों में जिसमें प्राविधिक त्रुटियां एवं अनियमितताओं का वर्णन तथा (2) प्रेषित पत्रों एवं आपत्तियों में प्रस्तुत किया जा रहा है।

2–प्रशासन

प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 में डा0 मुकेश आर्यबन्धु, महापौर एवं श्री रविन्द्र कुमार मांदड़ नगर आयुक्त पद पर रहे।

3– सम्परीक्षण

1. प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 में श्री संजय प्रताप सिंह दिनांक 08.07.2019 से सम्पूर्ण वर्ष तक मुख्य नगर लेखा परिक्षक के पद पर कार्यरत् हैं।
2. लेखा परीक्षण विभाग में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के 1 तथा लेखा परीक्षक के 1 पद स्वीकृत है इन पदों पर निम्नलिखित परीक्षकगण कार्यरत् हैं:–

ज्येष्ठ लेखा परीक्षक / लेखा परीक्षक

1. ज्येष्ठ लेखा परीक्षक का एक पद है जो सम्पूर्ण वर्ष रिक्त रहा।
2. श्री मुकेश कुमार भटेले (लेखा परीक्षक) दि0 09.07.2019 से सम्पूर्ण वर्ष तक।

4–अनिस्तारित आडिट आपत्तियां

विभागाध्यक्ष एवं विभागीय अधिकारी अपने विभाग के अभिलेखों का परीक्षण कराने में समुचित सहयोग प्रदान नहीं करते हैं, परीक्षण के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करना एवम् परीक्षण से बचने का प्रयास करते रहते हैं। यही नहीं परीक्षण द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का उत्तर देने तथा उनका निराकरण कराने में कोई रूचि नहीं लेते हैं। जो लेखा नियमावली के नियम–76 का स्पष्ट उल्लधंन है यही दशा प्रतिवेदन वर्ष में बनी रही। विभागों द्वारा अभिलेखों को सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने में उदासीनता बरती गयीं।

5– सामान्य त्रुटियों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2019–20 में आय–व्यय के लेखा परीक्षण के समय निम्नलिखित त्रुटियों अधिकांशत समस्त विभागों में पायी गईः–

(क) प्रायः पेंशन पत्रावलियों में संलग्न अदेय प्रमाण पत्रों पर पदाधिकारियों के पदनाम एवं मुहर आदि अंकित नहीं किये जाते है।

(ख) लेखा नियमावली के नियमों की अवहेलनाः– लेखा नियमावली के नियम 5 के अनुसार प्रत्येक अशुद्ध एवं अपरलेखन को उत्तरदायी कर्मचारी द्वारा सत्यापित होना चाहिये परन्तु ऐसा प्रायः नही पाया जाता। अधिकृत सत्यापन के अभाव में किया गया अपर लेखन एवं अशुद्ध लेखन पूर्णतयः वर्जित है जो भ्रामक स्थिति की ओर ले जाता है। प्रायः कर्मचारियों की सेवापुस्तिकाओं में अपर लेखन किया जाता है।

(ग) अधिकांशतः विभागों द्वारा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया जाता है। सेवापुस्तिकाओं में कर्मचारियों का पूर्ण उल्लेख नहीं पाया गया। किन्ही–किन्हीं मामालों में कई वर्षो के सेवानिवृत्त की प्रविष्टियां अंकित नही पायी गयी। प्रायः सेवापुस्तिकाओं में छठवे एवं सातवे वेतनमान में वेतन निर्धारण की प्रविष्टियों त्रुटिपूर्ण पायी गयी। सेवापुस्तिकाओं में समस्त प्रविष्टियां प्रायः सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं पायी गयी।

भाग द्वितीय

(वित्तीय वर्ष 2019–20 का लेखा परीक्षण)

6–वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राप्त एवं निस्तारित पेंशन/उपादान सम्बन्धित विषयों की समीक्षाः–

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 24 पेंशन/उपादान के मामले लेखा विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा लेखा परीक्षण हेतु भेजे गये समस्त पेंशन/उपादान पत्रावलियों का अन्तिम रूप से निस्तारण किया गया तथा अन्य पत्रावलियों के मामलों में लेखा परीक्षण के दौरान दृष्टिगत आपत्तियों से लेखा विभाग एवं सम्बन्धित विभाग को अवगत कराया गया।

1. विभागों द्वारा भेजी गयी पत्रावलियों अपूर्ण पायी गयी। लेखा विभाग का यह दायित्व है कि लेखा परीक्षण में पत्रावलियां भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भेजे जाने वाली पत्रावलियों में सभी आवश्यक पत्र संलग्न है अथवा नहीं, किन्तु लेखा विभाग द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया फलस्वरूप अपूर्ण पत्रावलियां ही लेखा परीक्षण में भेजी जाती रहीं।
2. पेंशन पत्रावलियों में वेतन तालिकायें अधिकांशतः त्रुटिपूर्ण पायी गयी यह स्पष्ट नही हो पाया कि उन्हें किस आधार पर तैयार किया गया। लेखा विभाग का यह दायित्व है कि उन तालिकाओं का मिलान मूल देयकों से करने के उपरान्त उसपर यह टिप्पणी अंकित की जाये कि वेतन तालिका का मिलान मूल वेतन देयकों से कर लिया गया है तथा शुद्ध पाया गया।
3. लेखा परीक्षण के दौरान दृष्टिगत अनियमितताओं से लेखा विभाग एवं सम्बन्धित विभागों को अवगत कराया गया। अधिकांश पत्रावलियों पर बार–बार आपत्तियां करने पर भी उनका निस्तारण किया गया। लेखा विभाग का दायित्व है कि वह उठायी गयी आपत्तियों के पूर्ण निस्तारण करवाने के पश्चात ही जांचोपरान्त पत्रावलियों को लेखा परीक्षण हेतु भेजे, किन्तु इसका पालन नहीं किया गया और पत्रावलियों को बिना जांचे ही लेखा परीक्षण में भेज दिया गया।
4. पूर्व वर्णित कठिनाईयों के कारण पेंशन निस्तारण के कार्य में शीघ्रता होना सम्भव नही हो पाता। यह कटु सत्य है कि सम्बन्धित विभाग तथा लेखा विभाग द्वारा यदि पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाय तो पेंशन/उपादान के मामलों के निस्तारण में शीघ्रता सम्भव है।

7–नगर निगम की वित्तीय स्थिति वर्ष 2019–20

वित्तीय वर्ष 2019–20 का प्रारम्भिक अवशेष (बजट तखमीना) रू0 15,01,37,084/–

वित्तीय वर्ष 2019–20 का प्रारम्भिक अवशेष (वास्तविक) रू0 1,95,85,65,298.55

आय–पक्ष

क्र0स0	मद का नाम	प्राविधानित आय	वास्तविक आय
1	कर प्राप्तियाँ	13,37,30,000.00	4,81,60,173.00
2	राजस्व एवं क्षतिपूर्तियाँ	15,000.00	1,49,840.00
3	किराये से प्राप्तियाँ	1,32,00,000.00	56,05,639.00
4	शुल्क एवं यूजर चार्जेज	2,49,72,000.00	1,73,94,563.00
5	बिक्री एवं किराया प्रभार	55,00,000.00	0
6	शासकीय अनुदान	1,87,65,00,000.00	1,84,21,11,517.61
7	अर्जित ब्याज	1,00,00,000.00	79,74,328.29
8	अन्य प्राप्तियाँ	2,48,13,000.00	2,06,48,385.00
	महायोग	**2,08,87,30,000.00**	**1,94,20,44,445.90**

विभिन्न लेखों में उपरोक्त आय नगर निगम के वार्षिक बजट 2019–20 में उल्लिखित है एवं दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की वास्तविक आय का उल्लेख किया गया है।

व्यय–पक्ष

क्र0स0	मद का नाम	प्राविधानित व्यय	वास्तविक व्यय
1	अधिष्ठान पर व्यय	99,35,00,000.00	83,82,01,997.00
2	प्रशासनिक व्यय	3,89,50,000.00	1,62,32,402.61
3	अन्य व्यय	12,55,05,000.00	4,97,07,147.78
4	संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय	31,85,00,000.00	10,38,66,034.00
5	नव निर्माण एवं क्रय	58,00,00,000.00	7,15,65,877.00
6	सरकारी अनुदान/सहायता	1,60,91,05,000.00	39,05,88,747.50
7	से0नि0/मृतक कर्मचारियों का बीमा भुगतान	10,00,000.00	1,29,535.00
	महायोग	**3,66,65,60,000.00**	**1,47,02,91,740.89**

विभिन्न मदों में उपरोक्त व्यय नगर निगम के वार्षिक बजट 2019–20 में उल्लिखित है एवं दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक किये गये वास्तविक व्यय का उल्लेख है।

रोकड़वही का अन्तिम अवशेष (दिनांक 31.03.2020 तक) लेखा विभाग द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है जबकि लेखा नियमावली के नियम 58 (3) के अन्तर्गत अन्तिम अवशेष की सूचना 31 मार्च के पश्चात मुख्य नगर लेखा परीक्षक को उपलब्ध कराने का प्रावधान है वित्तीय वर्ष 2019–20 की समाप्ति पश्चात् का अन्तिम अवशेष अभी तक अप्राप्त है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय एवं व्यय के लेखों पर सम्परीक्षण टिप्पणी

आय–पक्ष

(क) राजस्व लेखा

वर्ष 2019–20 के वार्षिक बजट के अवलोकन से विदित हुआ कि वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 में निम्नलिखित मदों में अपेक्षाकृत कम आय हुयी–

लेखा शीर्षक	लेखामद	बजट प्रावधान	वर्ष 2018–19 में प्राप्त आय	वर्ष 2019–20 में प्राप्त आय
110–11–01	विज्ञापन शुल्क	1,50,00,000.00	5,26,723.00	4,87,292.00
110–12–01	अवस्थापना निधि	5,00,00,000.00	1,34,93,226.00	17,47,034.00
110–20–02	किराया राजस्व दुकान आदि	25,00,000.00	13,46,048.00	11,56,700.00
130–40–01	किराया नजूल भूमि	1,00,000.00	6300.00	0
130–80–01	प्रीमियम दुका/जनी	60,00,000.00	1,37,63,500.00	11,67,950.00
140–11–07	जलमूल्य	20,00,000.00	13,91,981.00	7,42,479.00
140–11–08	पंजीकरण शुल्क (ठेकेदार)	12,00,000.00	11,57,000.00	9,13,000.00
140–11–10	नामान्तरण शुल्क	35,00,000.00	26,35,624.00	19,80,802.00
140–11–11	पर्चा शुल्क डिस्पेन्सरी	10,000.00	3042.00	2613.00
140–11–14	अन्य चार्जेज एवं फीस	10,00,000.00	4,62,874.00	4,05,010.00
140–13–01	नकल शुल्क	2,50,000.00	1,64,218.00	88,287.00
140–13–02	जन्म मृत्यु पंजीकरण शुल्क	4,00,000.00	3,09,160.00	1,27,730.00

टिप्पणी– लेखा शीर्षक संख्या 110–11–01 विज्ञापन शुल्क के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में 39431/– की कम आय प्राप्त हुई जबकि बजट प्रावधान रूपया 1,50,00,000/– का था। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कम आय प्राप्त होना तथा बजट प्रावधान से 3 प्रतिशत आय प्राप्त होना यह स्पष्ट करता है कि इनकी प्राप्ति हेतु समुचित प्रयास नहीं किये गये। विज्ञापन शुल्क की उपविधि हेतु लचर गति से प्रयास करने के परिणाम स्वरूप नगर निगम को करोड़ों रूपये का राजस्व नुकसान हुआ।

2. लेखाशीर्षक 110–12–01 2 प्रतिशत स्टाम्प डयूटी के सन्दर्भ में प्राविधानिक बजट रू0 5,00,00,000/– के सापेक्ष आय प्राप्त नहीं हुयी जवकि वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1,34,93,226/– की आय प्राप्त हुयी थी।
3. लेखाशीर्षक 130–20–02 किराया राजस्व दुकान आदि के मद में गतवर्ष 2018–19 के सापेक्ष 1,89,348/– की कम आय हुयी जवकि वजट प्रावधान 25,00,000/– का था। इसे प्राप्ति हेतु समुचित प्रयास नहीं किये गये।
4. लेखाशीर्षक 130–40–01 किराया नजूल भूमि मद में वजट प्रावधान 1,00,000/– था किन्तु प्राप्त धनराशि शून्य रहा। पिछले वित्तीय वर्ष 2018–19 में मात्र 6300/– रूपये प्राप्त हुआ था। इस हेतु समुचित प्रयास नहीं किया गया।
5. लेखाशीर्षक 130–80–01 प्रीमियम दुकान जमीन हेतु बजट प्रावधान 60,00,000/– था वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में 1,25,95,550/– की कम प्राप्ति हुयी।
6. लेखाशीर्षक 140–11–08 ठेकेदारों के पंजीकरण शुल्क में वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में धनराशि 2,44,000/–की कमी आयी जबकि बजट प्रावधान 12,00,000/– का था।
7. लेखा शीर्षक 140–11–10 नामान्तरण शुल्क में वर्ष 2018–19 की तुलना में आलोच्य वित्तीय वर्ष में 6,54,822/– की कमी आयी जबकि बजट प्रावधान 35,00,000 का था।
8. लेखाशीर्षक 140–13–01 नकल शुल्क में वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में 75,931/– की कम आय हुयी जवकि बजट प्रावधान 2,50,000/– का था।
9. लेखाशीर्षक 140–11–14 अन्य चार्जेज एवं फीस के मद में वजट प्रावधान 10,00,000/– के सापेक्ष मात्र 40 प्रतिशत धनराशि की प्राप्ति हुयी। गत वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में 57846/–की कमी आयी। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कम आय प्राप्त होना तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लक्ष्य के सापेक्ष 40 प्रतिशत आय प्राप्त होने से स्पष्ट होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समुचित प्रयास नहीं किये गये।

2. आलोच्य अवधि में निम्नलिखित मदों बजट प्रावधान के सापेक्ष आय शून्य रहा:–

लेखाशीर्षक	मद का नाम	बजट प्रावधान	प्राप्त आय
130–40–01	किराया नजूल विभाग	1,00,000.00	शून्य
140–11–03	लाइसेंस शुल्क ढकेल	5,000.00	शून्य
140–11–06	विद्युत चालित शक्तियों पर कर	50,000.00	शून्य
140–11–09	लाइसेंस शुल्क (वैलगाडी)	2,000.00	शून्य
150–30–01	निस्प्रयोग्य सामग्री की विक्री से आय	5,00,000.00	शून्य

3. वित्तीय वर्ष 2019–20 में लेखाशीर्षक 110–01–01 गृहकर हेतु पुनरीक्षित बजट में 3,55,00,000/– का लक्ष्य निर्धारित था जिसके सापेक्ष 2,47,40,696/– की प्राप्ति हुयी। लेखाशीर्षक 110–02–01 जलकर के बजट प्रावधान 3,27,00,000/– के सापेक्ष 2,08,83,151/– की प्राप्ति हुयी। इस प्रकार गृहकर एवं जलकर हेतु कुल वसूली बजट प्राविधान के क्रमशः 69 प्रतिशत एवं 63.86 प्रतिशत रहा। कर विभाग द्वारा भवन स्वामीयों को विल का वितरण वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही न करके सम्पूर्ण वर्ष किया जाता रहा। अतः बजट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समुचित प्रयास नहीं किये गये।

व्यय पक्ष

आलोच्य अवधि 2019–20 में विगत वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अधीन अधिक व्यय हुआ है:–

लेखा शीर्षक	लेखामद	वर्ष 2019–20 का तखमीना (रू0)	वर्ष 2019–20 का व्यय (रू0)	वर्ष 2018–19 का व्यय (रू0)	वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के व्यय में वृद्धि
220–30–03	टी0ए0 बिल्स	5,00,000.00	4,33,002.00	2,22,343.00	2,10,659.00
220–51–01	विधिक व्यय	40,00,000.00	30,27,781.00	6,78,000.00	23,49,781.00
220–60–01	विज्ञापन पर व्यय	60,00,000.00	29,04,870.00	24,06,865.00	4,98,005.00
220–12–01	टेलीफोन (सी.यू.जी.) इण्टरनेट पर व्यय	7,00,000.00	4,67,972.61	4,14,692.26.00	53,280.61.00
220–21–01	प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी	25,00,000.00	12,27,533.00	11,56,863.00	70,670.00
220–30–01	वाहन किराया	80,00,000.00	59,02,184.00	33,18,369.00	25,83,815.00
230–90–04	स्टोर निमार्ण	2,00,000,00.00	9,39,461.00	6,47,625.00	2,91,836.00
230–10–02	पेट्रोल, डीजल पर व्यय	140,00,000.00	1,21,99,928.00	1,18,57,916.00	3,42,012.00
230–50–01	जलापुर्ति पर व्यय	4,00,00,000.00	2,50,33,644.00	2,31,72,633.00	18,61,011.00
230–50–02	जल निकासी	3,00,00,000.00	1,40,18,794.00	4,23,867.00	1,35,94,927.00
230–50–03	प्रकाश सामग्री पर व्यय	1,50,00,000.00	82,89,331.00	29,19,682.00	53,69,649.00
230–50–04	रोड मेंटेनेश	4,00,00,000.00	2,26,93,927.00	1,31,01,412.00	95,92,515.00
230–51–01	पार्क पर व्यय	2,00,00,000.00	32,66,133.00	5,43,982.00	27,22,141.00
230–10–01	विद्युत विल पर व्यय	25,00,000.00	19,22,392.00	शून्य	1,92,392.00
230–10–02	पेट्रोल डीजल (वाटर वर्क)	20,00,000.00	10,12,104.00	शून्य	10,12,104.00
230–10–04	पेट्रोल डीजल (कार्यालय वाहन)	25,00,000.00	13,19,800.00	शून्य	13,19,800.00
230–30–02	फागिंग चूना इत्यादि	15,00,000.00	4,05,825.00	2,12,625.00	1,93,200.00

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त लेखा मदों में विगत वित्तीय वर्ष 2018–19 में किये गये व्यय से आलोच्य वित्तीय वर्ष 2019–20 का व्यय अधिक है। विजली विल, टी.ए. विल, विधिक व्यय, पेट्रोल डीजल पर व्यय, विज्ञापन प्रकाशन पर व्यय आदि में आलोच्य वित्तीय वर्ष में अधिक व्यय हुआ है। यघपि उपरोक्त मदों में हेतु निर्धारित तखमीने से कम व्यय हुआ है तथापि मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेश के आलोक में व्यय पर नियंत्रण रखा जाना अपेक्षित है।

कार्य विशेष निधियों से व्यय

विगत वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 में कार्य विशेष निधियों से कम की स्थिति निम्नवत् रहीः–

लेखा शीर्षक	लेखामद	वजट तखमीना	वर्षिक व्यय 2019–20	वर्षिक व्यय 2018–19	वर्ष 2018–19 के वार्षिक व्यय की तुलना में वर्ष 2018–19 के व्यय में वृद्धि/कमी
260-10-01 n	13th Finance Commissio	80,000,000.00	4,14,52,800	-	41,452,800.00
260-10-02	14th Finance Commission	-	-	-	-
260-10-02A	*Roads Etc (FFC)*	300,000,000.00	12,67,71,762	9,31,59,704	33,612,058.00
260-10-02B	*Street Light (FFC)*	80,000,000.00	14,86,781	0	1,486,781.00
260-10-02C	*Water Supply(FFC)*	150,000,000.00	51,86,209	1,92,67,535	-
260-10-02D	*Health & Sanitation (FFC)*	200,000,000.00	5,63,42,060	4,83,25,932	8,016,128.00
260-10-02 E	*FFC (PAYMENT FROM SBM)*	-	-	1,26,00,000	-
260-10-03	*FFC Interest*	40,000,000.00	-	-	-
260-10-03	Awasthapna Nidhi	-	-	-	-
260-10-04A	*Roads (Awasthapna)*	100,000,000.00	1,82,65,701	1,46,50,629	3,615,072.00
260-10-04B	*Street Light (Awasthapna)*	20,000,000.00	-	-	-
260-10-04C	*Water Supply (Awasthapna)*	20,000,000.00	-	-	-
260-10-04D	*Health & Sanitation (Awasthapna)*	30,000,000.00	22,66,000	-	2,266,000.00
160-30-09-B	*Other Grant (Awara Pashu)*	-	-	26,77,760	-
260-10-05	*Pt. Deen Dayal Nagar Vikas Yojna*	30,000,000.00	-	2,06,13,000	-
260-10-06	*Nagriy Sadak Sudhar Yojna*	5,000.00	-	-	-
260-10-07	*Kanha Pashu Yojna*	30,000,000.00	2,15,60,908.44	1,40,47,582.17	7,513,326.27
260-10-08	*AMRUT Payment*	20,000,000.00	56,02,529.60	44,06,209.20	1,196,320.40
260-10-08 B	*Amrut A &OE*	1,500,000.00	-	-	-
260-10-09 B	*Solid Waste Management*	100,000,000.00	1,35,334	-	135,334.00
260-10-09	*SBM*	60,000,000.00	3,98,59,592.80	4,02,87,222.10	-
260-10-10	*HRIDAY*	100,000,000.00	4,48,65,004	10,07,73,081	-
260-10-12	*Naya Savera Yojna*	2,500,000.00	-	-	-
260-10-13	*Mandi Fund*	35,000,000.00	-	37,82,417	-
260-10-14	*URIF*	2,600,000.00	-	34,687	-
260-10-15	*Old Grant*	2,000,000.00	-	-	-
260-10-16	*JNNURM (UIG)*	20,000,000.00	1,39,67,270.10	55,54,326.40	8,412,943.70
260-10-17 A	*Other Grant (Besahara Pashu Nagar Vikas*	20,000,000.00	43,81,346.56	-	4,381,346.56
260-10-17 B	*Namami Gange*	10,000,000.00	-	-	-
260-10-17 C	*Nirashrit Gowansh Chara (Pashu Palan)*	20,000,000.00	65,65,125	-	6,565,125.00
260-10-17 D	*CM Group Wedding Exp*	5,500,000.00	-	-	-
260-10-17 E	*Colony Trf Exp*	120,000,000.00	-	-	-
260-10-17	*IDSMT Exp*	10,000,000.00	18,80,206	28,084	1,852,122.00

भाग तृतीय

वर्ष 2019–20 में उठाई गयी आपत्तियों तथा नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों को समय–समय पर भेजे गये पत्र।

नगर निगम प्रशासन को सन्दर्भित पत्र

1. **पत्र सख्या 05/डी/मु0न0ले0प0/2019 दिनांक 03.09.2019**
   समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारी,
   नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

   वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रारम्भिक पांच माह समाप्त हो चुके है। सम्परीक्षा विभाग द्वारा परीक्षण की कार्यवाही नियमित रूप से करने हेतु आपके विभाग से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं। अतः आपके विभाग द्वारा प्राप्त आय एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित समस्त अभिलेख यथा–पत्रावलियों, कार्य विवरण रजिस्टर विभागीय कैशबुक, बजट रजिस्टर व अन्य सम्बन्धित अभिलेख यदि कोई हो, को सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का काष्ट करें।

2. **पत्र सख्या 07/डी/मु0न0ले0प0/2019 दिनांक 16.09.2019**
   नगर आयुक्त,
   नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

   नगर निगम की वसूली से सम्बन्धित आय पुस्तिकाओं (प्रपत्र–2) की स्टॉक बुक के परीक्षण से विदित हुआ कि विभिन्न कार्मिक/विभागों को भिन्न–भिन्न तिथियों में आय पुस्तिकाएं वितरित की गयी किन्तु इन्हें वसूली उपरान्त रिकॉर्ड विभाग में लौटाया नहीं गया क्योंकि स्टॉक बुक में आय पुस्तिकाओं की वापसी की प्रविष्टि नहीं की गयी। उक्त आय पुस्तिकाओं के वितरण की सूची निम्नलिखित है:–

क्र0 स0	विभाग/कार्मिक/लिपिक	आय पुस्तिका क्रमांक (प्रपत्र सं0–2)	कुल संख्या	निर्गमन दिनांक
1	रिकॉर्ड विभाग	696	1	09.04.2019
2	श्री कन्हैया लाल शर्मा	697	1	25.04.2019
3	जन्म–मृत्यु लिपिक	698–700	3	25.04.2019
4	श्री योगेन्द्र शर्मा (जन्म–मृत्यु)	701–710	10	07.05.2019
5	श्री राजकुमार शर्मा (राजस्व विभाग)	711	1	08.05.2019
6	रिकॉर्ड विभाग	712	1	23.05.2019
7	श्री गोविन्द चौहान (कर विभाग)	713–728	16	30.05.2019
8	श्री योगेन्द्र शर्मा	729–730	2	04.06.2019
9	श्री योगेन्द्र शर्मा	731–738	8	04.06.2019
10	श्री देवराज सिंह	100	1	11.06.2019
11	रिकॉर्ड विभाग	739	1	25.06.2019
12	श्री कन्हेया लाल शर्मा	740	1	25.06.2019
13	श्री योगेन्द्र शर्मा	741–750	10	02.07.2019
14	श्री गोविन्द सिंह चौहान	751–770	20	17.07.2019
15	श्री योगेन्द्र शर्मा	771–778	8	25.07.2019
16	रिकॉर्ड विभाग	779	1	08.08.2019
17	श्री राकेश वावू (नजूल विभाग)	780	1	09.08.2019
18	वृन्दावन रिकॉर्ड कीपर	781–830	50	09.08.2019
19	श्री गोविन्द चौहान	831–850	20	09.08.2019
20	श्री योगेन्द्र शर्मा	851–860	10	21.08.2019
21	श्री विहारी शरण तिवारी	861	1	28.08.2019
22	श्री गोविन्द चौहान	862–879	18	05.09.2019

आय पुस्तिकाओं को वसूली के उपरान्त आय पुस्तिकाओं की संपूर्ण रसीदों के पूर्ण हो जाने पर उसके अन्तिम पर्ण पर संबंधित विभाग द्वारा समस्त आहरित धनराशि नगर निगम कोष में जमा कर दिए जाने तथा नगर निगम अभिलेख में नियमानुसार प्रविष्ट कर दिए जाने का प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त आय पुस्तिका का सम्बन्धित चालानों एवं विभागीय रोकड़ वही के साथ सम्परीक्षा भी कराई जानी चाहिए। पूर्ण हुई आय पुस्तिकाओं को रिकॉर्ड विभाग में जमा कराये जाने के पश्चात् ही नई आय पुस्तिका को सम्बन्धित कार्मिक/विभाग को निर्गत की जानी चोहिए। अतः पूर्व में प्रयोग किये जा चुके आय पुस्तिकाओं को स्टोर में जमा कराएं वगैर दर्जनों आय पुस्तिकाओं को कार्मिक/विभाग को वितरित किये जाने से नगर निगम को भारी आर्थिक क्षति की सम्भावना बनी है। यहां यह भी अवगत कराना है कि स्टॉक बुक में आय पुस्तिकाओं की कुल संख्या का अवशेष भी त्रुटिपूर्ण है।

अतः संपूर्ण प्रकरण आपके संज्ञान में लाते हुए अपेक्षा कि निर्गत आय पुस्तिकाओं को वसूली उपरान्त रिकॉर्ड विभाग में जमा कराने तथा सम्परीक्षा हेतु सम्बन्धित आय पुस्तिका, चालान एवं विभागीय रोकड़ वहीं को लेखा परीक्षक को उपलब्ध कराने हेतु कृपया सम्बन्धित पदाधिकारियों को आदेशित करने का कष्ट करें।

3. पत्र सख्या 09/डी/मु0न0ले0प0/2019 दिनांक 30.09.2019

प्रभारी कर विभाग,

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

कर विभाग के गृहकर निर्धारण/नामातंरण की पत्रावलियां परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं। इसस पूर्व में भी पत्रावलियां एवं सम्बन्धित अभिलेख मांगे गये थी किन्तु विभाग द्वारा शिथिलता बरती जा रही है एवं अभिलेखों के प्रस्तुतिकरण में आनाकानी की जा रही है जो कि नगर निगम के आर्थिक हितों के प्रतिकूल है। यह अनुचित है।

अतः गृहकर निर्धारण/नामातंरण की पत्रावलियों एवं डिमाण्ड/कलेक्शन रजिस्टर तत्काल परीक्षण हेतु प्रस्तुत करायें जिससे गृहकर निर्धारण/नामातंरण आदि में हो रही गड़बड़ियों की रोकथाम की जा सके।

4.पत्र सख्या 10/डी/मु0न0ले0प0/2019 दिनांक 30.09.2019

महाप्रबन्धक (जल),

जलकल विभाग

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

आपके विभाग की आय–व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्परीक्षा हेतु पूर्व में अनेक पत्र प्रेषित किये गये किन्तु अभिलेख ऑडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, जो कि नगर निगम के आर्थिक हितों के प्रतिकूल है। अतः अपने विभाग से सम्बन्धित स्टॉक रज़िस्टर, कन्डम आर्टिकल रजिस्टर, बिल रजिस्टर, नीलामी रजिस्टर, रिपेयर सामान रजिस्टर, ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित दस्तावेज पाइप लाइन मरम्मत पंजी, ट्यूवल की लॉगबुक, स्टैण्ड पोस्ट रजिस्टर, टी.सी. रजिस्टर, डीजल स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक अभिलेख सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आपसे अनुरोध है कि उक्त पत्र को गम्भीरता से लेते हुये परीक्षण कार्य (ऑडिट) में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

5. पत्र सख्या 11/डी/मु0न0ले0प0/2019 दिनांक 04.10.2019

मुख्य अभियंता,

निर्माण विभाग,

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

रिकॉर्ड विभाग की वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्टॉकबुक के परीक्षण से यह संज्ञान में पाया गया कि निर्माण विभाग के अवर अभियंताओं द्वारा विभिन्न तिथियों में एक मुश्त माप पुस्तिकाएं प्राप्त की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0स0	अवर अभियंता का नाम	संख्या	दिनांक
1	श्री इसरार अहमद	25	03.04.2019
2	श्री पवन यादव	30	03.04.2019
3	श्री सतीश रावत	30	03.04.2019
4	श्री मुनिदेव	92	03.04.2019
5	श्री छत्रपाल	51	01.06.2019
6	श्री कुंवर पाल सिंह	50	26.06.2019
	माप पुस्तिका योगः–	278	

इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम चार माह में अवर अभियंताओं द्वारा 278 माप पुस्तिकाएं प्राप्त की गयी। माप–पुस्तिका एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसके प्रारम्भ से अंत तक लिखा जाना चाहिए और प्रविष्टि खाली नहीं छोडी जाती है। यह एक स्थायी रूप से लिखे जाने वाला अभिलेख है। चूंकि निगम में प्रस्तुत माप पुस्तिका में सीरियल नम्बर प्रिंट नहीं है, इसके दुरूप्रयोग किये जाने की सम्भावना रहती है।

अतः अवर अभियंतओं द्वारा प्राप्त माप पुस्तिकाओं का किस कार्य में प्रयोग हुआ का विवरण कार्यालय में अनुरक्षित कराने का कष्ट करें। जिससे किसी भी प्राप्त माप पुस्तिका के दुरूप्रयोग की संभावना नहीं रहे।

6. पत्र सख्या 15/डी/मु0न0ले0प0/2019 दिनांक 21.11.2019

मुख्य अभियंता,
निर्माण विभाग,
नगर निगम मथुरा वृन्दावन

कृपया पूर्व में प्रेषित समस्त पत्रों तथा नगर आयुक्त के आदेश 758/एस0टी0/2019–20 दिनांक 03.10.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सम्परीक्षा हेतु समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु आपको आदेशित किया गया है, किन्तु सम्परीक्षा हेतु अभिलेख आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः पुनः अवगत कराया जाता हैं कि 01 अप्रैल 2019 से आज दिनांक तक के भुगतान से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियां तथा सम्बन्धित अभिलेख यथाशीघ्र सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करायें अन्यथा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

7. पत्र सख्या 16/डी/मु0न0ले0प0/2019 दिनांक 22.11.2019

सहायक अभियंता,
मार्ग प्रकाश विभाग,
नगर निगम मथुरा वृन्दावन

कृपया पूर्व में प्रेषित समस्त पत्रों तथा नगर आयुक्त के आदेश 758/एस0टी0/2019–20 दिनांक 03.10.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सम्परीक्षा हेतु समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु आपको आदेशित किया गया है, किन्तु सम्परीक्षा हेतु अभिलेख आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः पुनः अवगत कराया जाता हैं कि 01 अप्रैल 2019 से आज दिनांक तक के भुगतान से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियां तथा सम्बन्धित अभिलेख यथाशीघ्र सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करायें अन्यथा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

8. पत्र सख्या 20/डी/मु0न0ले0प0/2019 दिनांक 04.01.2010

नगर आयुक्त,
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

कान्हा गौशाला में निराक्षित गौवंश की चारा व्यवस्था हेतु नगर विकास विभाग एवं पशुपालन विभाग द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः रू0 50,00,000/– एवं रू0 1,09,50,000/– धनराशियों से सम्बन्धित सम्परीक्षा प्रतिवेदन।

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन को वित्तीय वर्ष 2018–19 में विशेष सचिव उ0प्र0 शासन अनुभाग–8 के शासनादेश सं0 3858/नौ–8/2018–06 के.पी.ए. (बजट)/2018 दिनांक 09.01.2019 द्वारा रू0 50,00,000/– धनराशि नगर निगम मथुरा–वृन्दावन को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के खाता सं0 522902010910065 में दिनांक 21.02.2019 को प्राप्त हुआ जिस पर दिनांक 15.12.2019 तक कुल रू0 92,154/– का व्याज प्राप्त हुआ।

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन द्वारा दिनांक 15.12.2019 तक रू0 43,81,332/– का व्यय किया गया तथा खाते में अवशेष धनराशि रू0 7,10,822/– दिनांक 15.12.2019 तक शेष पाया गया। सम्बन्धित रोकड़ वही के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि दिनांक 31.10.2019 तक अवशेष धनराशि रू0 6,18,715/– अंकित है। अतः अन्तिम अवशेष में बैंक से प्राप्त व्याज की धनराशि को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

पशुपालन विभाग द्वारा न0नि0के खाते में पशुपालन विभाग मथुरा से कोटक महिन्द्रा बैंक के खाता संख्या 8111637597 में दिनांक 23.01.2019 को धनराशि रू0 1,09,50,000/– प्राप्त हुआ, जिसे पुनः दिनांक 18.02.2019 को एक्सीस बैंक के खाता सं0 918010065365451 में धनराशि रू0 1,07,15,892/– अंतरित कर दिया गया, जिस पर एक्सीस बैंक द्वारा दिनांक 02.12.2019 तक रू0 1,67,380/– का व्याज दिया गया बैंक की पास बुक में दिनांक 02.12.2019 तक रू0 19,07,945/– का अवशेष अंकित है। नगर निगम के सम्बन्धित रोकड़ वहीं में दिनांक 30.11.2019 तक रू0 29,77,874/– अन्तिम अंकित है। नगर निगम के सम्बन्धित रोकड़ वही में दिनांक 30.11.2019 तक रू0 29,77,874/– अन्तिम अवशेष अंकित है। रोकड़ वही तथा बैंक पासबुक के अन्तिम अवंशेष में रू0 10,69,929/– का अन्तर है, इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

अवगत कराना है कि प्रदेश के नगर निकायों द्वारा संचालित कान्हा गौशालाओं/पशु शेन्टर होम में रखे गये आवारा पशुओं के भूसे–चारे आदि की व्यवस्था अपनाई गई है। किन्तु सरकारी विभाग द्वारा प्राप्त रू0 1,09,50,000/– को निजी क्षेत्र के बैंक कोटक महिन्द्रा में एवं पुनः एक्सीस बैंक में रखा गया जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। यदि इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा कोई निर्देश प्राप्त हुआ हो तो उसे अवलोकित कराया जाना अपेक्षित है।

कान्हा गौशाला में भूसे की खरीद, स्टॉक बुक की प्रविष्टि इत्यादि में अनियमितता होने के सम्बन्ध में:– 2018–19 में 31 मार्च 2019 तक 2215.5 क्विटल भूसे की खरीद कुटेशन के माध्यम से की गई जबकि व्यय की गई धनराशि एक लाख से अधिक होने के कारण निविदा प्रक्रिया के अपनाया जाना चाहिए था पुनः कुटेशन प्राप्त किये गये प्रतिष्ठानों के जी0एस0टी0 नम्बर, पेन कार्ड नम्बर, आदि का उल्लेख पत्रावली में नहीं पाया गया और फर्मो से प्राप्त कुछ बिलों में बिल क्रमांक का भी उल्लेख नहीं था। अतः इस प्रकार की खरीद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। स्टॉक बुक के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि स्टॉक प्रविष्टि में बिलों की दिनांक अंकित नहीं किया जाना है।

भूसे की स्टॉक संख्याओं के परीक्षण में संज्ञान में पाया कि बिल में दर्ज भूसे की मात्रा और स्टॉक रजिस्टर दर्ज भूसे की मात्रा में भिन्नता है।

क्र0स0	रसीद सं0/दर्ज मात्रा (क्विटंल)	स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि मात्रा (क्विटंल)	दिनांक
1	426, 29.6	31.60	12.02.2019
2	409, 14.45	15.40	11.02.2019
3	494, 40.10	42.80	16.02.2019
4	557, 42.45	45.30	20.02.2019
5	458, 37.50	40.00	14.02.2019
6	460, 37.70	40.20	14.02.2019

7	625, 33.35	35.60	24.02.2019
8	605, 31.10	33.20	24.02.2019
9	565, 42.35	45.20	20.02.2019
10	645, 24.35	26.00	25.02.2019
11	644, 31.50	33.60	25.02.2019

स्टॉक प्रविष्टि के परीक्षण से संज्ञान में पाया गया कि कुल गौवंश एवं दैनिक भूसा खपत में काफी भिन्नता है। उदाहरणार्थ–दिनांक 06.04.2019 को 1017 गौवंश हेतु 34.64 क्विटंल भूसा डाला गया जबकि दिनांक 07.04.2019 को 1030 गोवंश हेतु 47.92 क्विंटल भूसा डाला गया इस प्रकार 13 गौवंश की वृद्धि पर लगभग 13 क्विंटल भूसा बढाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार दिनांक 10.04.2019 को 1040 गौवंश के सापेक्ष 57.47 क्विंटल भूसा डाला गया जबकि दिनांक 25.07.2019 को 1259 गौवंश के सापेक्ष 21.42 क्विंटल भूसा डाला गया इस प्रकार गौवंश की संख्या के अनुपात में भूसा की खपत में अत्यधिक विचलन है।

शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रतिदिन गौवंश का निरीक्षण किया जाना चाहिए तथा उनके भूसे चारे आदि की खपत का निरीक्षण किये जाने की व्यवस्था की गई है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि अभिलेखों की दैनिक प्रविष्टि तथा सत्यापन नहीं किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

कान्हा गौशाला हेतु चारा व्यवस्था पत्रावली के परीक्षण में पाया गया कि गौवंश के फोटो ग्राफ, वीडियो की सीडी, टैगिंग आदि से सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नहीं है जबकि शासनादेशानुसार उ0प्र0 गौवंश सरंक्षण कोष नियमावली 2019 के अनुसार प्रतिदिन भौतिक सत्यापन/पशुओं की संख्या विषयक साक्ष्य (फोटो ग्राफ, वीडियो की सीडी, टैगिंग आदि) भी रखे जाने की व्यवस्था है।

कान्हा गौशाला में रखे गये गौवंश की लिंग, आयु व्यात के आधार पर वर्गीकृत करके विवरण रखे जाने की व्यवस्था है किन्तु इस सम्बन्ध में कुल गौवंश की संख्या दर्शाई गई है। वर्गीकृत के आधार पर अभिलेख परीक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया है। मृत गौवंशों की प्रविष्टि स्टॉक बुक में नही पाई गई है।

कान्हा गौशाला में अन्य गौशालाओं में विभिन्न तिथियों में गौवंश अन्य स्थानांतरित किए गये किन्तु सम्बन्धित गौशालाओं/संस्थाओं से शासनादेशानुसार स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध किये गये अथवा नहीं इस सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध नहीं पाए गये।

गौवंश से प्राप्त गौवंश उत्पाद यथा गोवर गोमूत्र, दूध इत्यादि से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये अतः इन उत्पादों से प्राप्त आय की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।

कान्हा गौशाला से कुछ गौवंश जुर्माना वसूल करके वापस लौटाए गए हैं किन्तु इससे सम्बन्धित अभिलेख परीक्षण हेतु उपलब्ध नही कराए गए तथा जुर्माना किस आधार पर वसूला जा रहा है एवं जुर्माने के साथ खुराकी पर व्यय धनराशि के लिए जाने के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं बताया गया है।

शासनादेशानुसार रू0 30/– प्रतिदिन प्रति गौवंश के आधार पर अनुदान धनराशि उपलब्ध कराई गई है जबकि नगर निगम द्वारा प्रतिदिन प्रति गौवंश व्यय माह जनवरी 24.67 पाया गया किन्तु इसके बाद फरवरी 19 से नवम्बर 19 तक प्रति गौवंश प्रतिदि खर्च रू0 33/– से रू0 64/– तक किया गया है, जो कि शासनादेश में निहित व्यवस्था से अत्याधिक है। अतः इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

9. पत्र सख्या 16/डी/मु0न0ले0प0/2019 दिनांक 22.11.2019

प्रभारी अधिकारी,
गैराज विभाग,
नगर निगम मथुरा वृन्दावन।

कृपया पूर्व में प्रेषित समस्त पत्रों तथा नगर आयुक्त के आदेश 758/एस0टी0/2019–20 दिनांक 03.10.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सम्परीक्षा हेतु समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु

आदेशित किया गया है किन्तु सहायक अभियन्ता (वि/यां) को निरन्तर पत्र प्रेषित किये जाने के वाबजूद अभिलेख ऑडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः ऐसा प्रतीत होता है कि गैराज विभाग में सम्भावित अनिमितताओं को छिपाने के प्रयास किया जा रहा है अभिलेख सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाना नगर निगम अधिनियम की धारा 144 का उल्लंधन भी सम्बन्धित द्वारा किया जा रहा है।

अतः विषय की गम्भीरता को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 के अद्यतन तक के समस्त अभिलेख ऑडिट हेतु उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने का कष्ट करें।

10. पत्र सख्या 26/डी/मु0न0ले0प0/2019 दिनांक 17.03.2020

मुख्य अभियंता,
निर्माण विभाग,
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

प्रायः देखा जा रहा है कि निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों को जमा की हुई प्रतिभूति धनराशि वापस कर दी जाती है। किंतु पत्रावली का लेखा परीक्षण नहीं कराया जाता है।

अतः प्रतिभूति धनराशि वापस करने से पूर्ण पत्रावली की सम्परीक्षा सुनिश्चत कराने का कष्ट करें।

11. पत्र सख्या 27/डी/मु0न0ले0प0/2019 दिनांक 17.03.2020

रिकॉर्ड कीपर/नाजिरात,
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

जैसा कि विदित है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 समाप्ति की ओर है किंतु आपके द्वारा आय–व्यय से संबंधित कोई भी अभिलेख सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए है। यह एक बेहद विषम परिस्थिति है। अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि रिकार्ड विभाग/नाजिरात से संबंधित समस्त स्टॉक बुक, पत्रावलियां इत्यादि यथाशीघ्र लेखा परीक्षा कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में प्रकरण को नगर आयुक्त के समक्ष उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

आपत्तियां

1. आपत्ति संख्या–01
मुख्य अभियंता (निर्माण विभाग),
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

विषयः– निर्माण कार्य के कार्यादेश में निर्धारित अवधि में कार्यपूर्ण न होने तथा समयवृद्धि करने पर कार्य विलम्व से पूर्ण होने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने के सम्बन्ध में।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा राज्य वित्त आयोग से कराये गये कार्यो की कुछ पत्रावलियों के परीक्षण से संज्ञान में पाया गया कि अधिकांश फर्मो द्वारा कार्यादेश में निर्धारित अवधि में कार्यपूर्ण नहीं किया गया तथा निर्माण विभाग द्वारा प्रतीकात्मक दण्ड अरोपित कर समयवृद्धि दे दी गयी जिससे फर्मो को कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। कुछ कार्यो का विवरण निम्न लिखित हैः–

1. वार्ड 16 नवादा के अन्तर्गत वासु एन्कलेव कॉलोनी में सवीर सिंह के मकान से तेजपाल सिंह के मकान तक नाली निर्माण का कार्य आगणन धनराशि रू0 999780/– फर्म का नाम – मै0 कर्व कन्सट्रेशन कार्यादेश में निर्धारित अवधि 09.03.2019 से 05.04.2019 समयवृद्धि 31.12.2019 तक दण्ड रू0 1000/–

2. वार्ड सं0 37 के अन्तर्गत इन्कलेव कॉलोनी में महीपाल के मकान से विजय सिंह के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण का कार्य आगणन धनराशि रू0 1203890/– फर्म का नाम मै0 मुकेश कुमार कार्यादेश मे निर्धारित अवधि 06.03.2019 से 28.04.2019 तक समयवृद्धि 28.06.2019 तक दण्ड रू0 1000/–
3. वार्ड सं0 22 तुलसीनगर से वन्टी गोला से घनश्याम गोला से व सैयद से मुकेश गुर्जर और प्रेम सिंहसे पूरन गुर्जर तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य आगणन धनाराशि रू0 1870258/– कार्यादेश में निर्धारित अवधि 25.10.2018 से 2102.2019 तक समयवृद्धि 17.05.2019 तक।
4. वार्ड सं0 26 बगीची वाली गली सुरेश के मकान से रामचरन महौर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य आगणन धनराशि रू0 699761/– कार्यादेश में निर्धारित अवधि 07.10.2018 से 25.12.2018 तक समयवृद्धि 30.05.2019 तक दण्ड रू0 500/–।
5. आनन्दवन फेस–1 में 60 फुट रोड पर कुवरपाल सिंह के मकान से श्यामवीर सिंह प्रधानाचार्य व ओमवीर के मकान तक दोनों साइड नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य आगणन धनराशि रू0 2132100/–फर्म पाठक एण्ड कम्पनी कार्यादेशानुसार अवधि 01.01.2019 से 14.02.2019 समयवृद्धि 31.08.2019 तक दण्ड रू0 1000/–।
6. वार्ड 58 लक्ष्मी टाकिज चौराहे से अखाड़ा गिरधर वाले तक एक साइड नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य आगणन रू0 198500/– कार्यादेशानुसार अवधि 15.01.2019 से 23.02.2019 तक समयवृद्धि 10.05.2019 तक दण्ड रू0 शून्य।

कार्यो के लिए निर्धारित अवधि से इतर निविदा में प्रकाशित अवधि से अधिक समय दिया जाना उचित नहीं है। निविदा की शर्तो के अनुसार ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से कार्य समय से पूरा नहीं पाये। जनहित के कार्यो को अत्यधिक विलम्ब से जनसामान्य को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा नगर निगम की छवि खराब होती है। शर्तो के अनुसार दण्ड नहीं लगाने से नगर निगम को आर्थिक क्षति भी हो रही है। अतः निविदा शर्तो का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना आपेक्षित है।

2. आपत्ति संख्या–02

महाप्रबंधक (जलकल),

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

पत्रावली परीक्षण के क्रम में विदित हुआ कि वार्ड नं0 32 सरला देवी उ0मा0 विद्यालय के पास पोखर से पानी वहार निकालने हेतु मै0 भूरे सिंह कान्ट्रेक्टर एवं सप्लायर एवं को वाउचर नं0 145 जून 2019 से धनराशि रू0 1,67,784/– का भुगतान किया गया। उक्त कार्य हेतु क्षेत्रीय जनता/मा0 पार्षद के द्वारा किसी भी प्रकार का मांग पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं था। पत्रावली में नगर आयुक्त के निरीक्षण तिथि का भी उल्लेख नहीं किया गया। पत्रावली के परीक्षण से संज्ञान में पाया गया कि सम्बन्धित फर्म से अनुबन्ध एवं जमानत धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया। फर्म के चयन का आधार भी स्पष्ट नहीं किया गया। जल निकासी का कार्य दिनांक 29.06.2018 से 10.07.2018 के बीच हुआ दर्शाया गया, जबकि फर्म द्वारा बिल लगभग 9 माह बाद दिनांक 17.03.2019 से 18.03.2019 में निकाला गया। कार्य की पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गयी है। कार्य के संचालन एवं समाप्ति के समय क्षेत्रीय जनता/जनप्रतिनिधि से किसी प्रकार का पुष्टि प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया, इसी प्रकार से अन्य स्थलों पर भी पानी निकालने के कार्य हेतु लाखों की धनराशि व्यय की गयी है। अतः कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किये जाने से संदेह पूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है साथ ही नगर निगम को आर्थिक क्षति भी संभावित है। उक्त समस्त बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है।

3. आपत्ति संख्या–03

महाप्रबंधक (जलकल),

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

पत्रावली परीक्षण के क्रम में पाया गया कि 8 इंच नलकूप अधिष्ठापन कार्य परकुशन विधि से वार्ड सं0 54 चिंताहरण महादेव मन्दिर के पास कार्य हेतु व्यय प्रमाणक सं0 228, जून 2019 द्वारा धनराशि रू0 5,50,933/– का भुगतान किया गया। फर्म का टेण्डर पूर्व स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2017–18 की दर पर किया गया। कार्य हेतु नवीन टेण्डर क्यों नहीं मंगा गया, इस सम्बन्ध में स्थिति अस्पष्ट रहीं। फर्म से अनुबन्ध नहीं कराया गया तथा जमानत धनराशि जमा होने से सम्बन्धित कोई अभिलेख पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। अतः उक्त बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

4. आपत्ति संख्या–04

महाप्रबंधक (जलकल),

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

पत्रावली परीक्षण के क्रम में विदित हुआ कि तीन हॉर्सपावर मोने ब्लाक पावर पम्प डिवाटरिंग का रिवाईडिंग कार्य हेतु वाउचर नं0 159, जून 2019 धनराशि रू0 16,600/– व्यय किया गया। उक्त कार्य हेतु कोई आगणन नहीं बनाया गया। पूर्व में उक्त मोटर का मरम्मत कब किया गया और उस पर कितनी धनराशि का व्यय हुआ, इसका कोई उल्लेख पत्रावली में नहीं किया गया है। फर्म को अनुबन्ध एवं कार्यादेश जारी नहीं किया गया। पुराने सामान भी प्रविष्टि से सम्बन्धित विवरण पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। इस प्रकार से कार्य का निष्पादन किया जाना अनियमित एवं आपत्ति जनक है, इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

5. आपत्ति संख्या–05

महाप्रबंधक (जलकल),

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

डीजल रजिस्टर एवं लॉगबुक के परीक्षण से संज्ञान में पाया गया कि प्राप्त डीजल लॉगबुक में प्रविष्ट डीजल की मात्रा में अत्यधिक भिन्नता है। डीजल रजिस्टर की प्रविष्टियों के अनुसार जो भी डीजल निर्गत किया जा रहा है, उसे लॉगबुक में उसी तिथि अथवा अगली तिथि में प्रविष्ट नहीं किया जाता तथा प्रविष्टि कर्ता द्वारा कम डीजल खपत/ज्यादा डीजल खपत अपनी स्वेच्छा से की जा रही है तथा डीजल के दुरूप्रयोग किये जाने की पूर्णतः संम्भावना बनी हुई है, कुछ लॉगबुक की प्रविष्टियों का विवरण निम्नलिखित है :–

1–ड्राइवर– विशन

क्र0सं0	दिनांक	डीजल रजिस्टर प्रविष्टि	लॉगबुक प्रविष्टि
1	15.04.2019	(i) 10 ली. (ii) 10 ली.	10 ली.
2	31.05.2019	10 ली.	–
3	04.06.2019	18 ली.	
4	06.06.2019	15 ली.	
5	23.06.2019	15 ली.	
6	25.06.2019	15 ली.	
7	18.07.2019	–	15 ली.
8	05.09.2019	–	10 ली.
9	14.09.2019	–	10 ली.

10	25.10.2019	10 ली.	05 ली.
11	26.10.2019	15 ली.	–
12	28.10.2019	10 ली.	15 ली.
13	08.11.2019	25 ली.	10 ली.
14	09.11.2019	15 ली.	–
15	11.11.2019	10 ली.	–
16	14.11.2019	05 ली.	10 ली.
17.	17.11.2019	–	05 ली.
	योग :–	183 ली.	90 ली.

2–ड्राइवर आसू

क्र0सं0	दिनांक	डीजल रजिस्टर प्रविष्टि	लॉगबुक प्रविष्टि
1	18.04.2019	15 ली.	25 ली.
2	26.04.2019	15 ली.	25 ली.
3	26.04.2019	10 ली.	–
	योग :–	40 ली.	50 ली.

3–ड्राइवर विष्णु

क्र0सं0	दिनांक	डीजल रजिस्टर प्रविष्टि	लॉगबुक प्रविष्टि
1	26.11.2019	15 ली.	10 ली.
	योग :–	15 ली.	10 ली.

4–ड्राइवर गिर्राज सिंह

क्र0सं0	दिनांक	डीजल रजिस्टर प्रविष्टि	लॉगबुक प्रविष्टि
1	28.06.2019	–	15 ली.
2	11.07.2019	–	15 ली.
3	15.07.2019	–	15 ली.
4	16.07.2019	–	15 ली.
5	01.08.2019	–	15 ली.
6	13.08.2019	–	15 ली.
7	14.08.2019	–	15 ली.
8	18.09.2019	–	15 ली.
9	20.09.2019	10 ली.	(i) 10 ली. (ii) 10 ली.
10	26.10.2019	10 ली.	15 ली.
11	27.10.2019	05 ली.	–
12	10.11.2019	15 ली.	–
13	15.11.2019	–	05 ली.
14	22.11.2019	10 ली.	–
	योग :–	50 ली.	160 ली.

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अधिक डीजल प्राप्त करके लॉगबुक में कम डीजल प्रविष्टि किया गया, इसी प्रकार से कुछ प्रविष्टियों में कम डीजल प्राप्त कर अधिक डीजल खपत लॉगबुक में अंकित किया जा रहा है।

1. लॉगबुकों की दैनिक प्रविष्टियों का सत्यापन सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया जाना आपत्ति जनक है।
2. कुछ ट्रेक्टरों के लॉगबुक के परीक्षण से संज्ञान में पाया गया कि एक ही दिनांक में भिन्न कार्य स्थलों पर भिन्न–भिन्न वाहन चालाकों द्वारा एक ही ट्रेक्टर का कार्य प्रयोग में किया जाना प्रविष्टि किया गया है ,जो कि संदेहास्पद प्रतीत होता है। स्थिति स्पष्ट करना अपेक्षित है।
3. वाहन के माइलेज का उल्लेख लॉगबुक में नहीं किया गया है। वाहन के संचालन की अवधि/तय की गयी दूरी का उल्लेख लॉगबुक में नहीं किया जा रहा है ,जिससे डीजल खपत का सही आकलंन सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं का स्पष्टीकरण दिया जाना आपेक्षित है।

6. आपत्ति संख्या–06
मुख्य अभियंता (निर्माण विभाग),
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

विषयः– त्रुटिपूर्ण आंगणन बनाकर कार्य कराने तथा भुगतान होने से नगर निगम को आर्थिक क्षति होने के सम्बन्ध में।

राज्य वित आयोग की निधि से वार्ड 61 के अन्तर्गत हिम्मतपुरा में रतनघोष एवं हीरा लाल के मकान एवं धनसिंह के मकान से होते हुये बृजराज के मकान तक इण्टरलॉकिंग द्वारा सुधार कार्य से सम्बन्धित पत्रावली के परीक्षण के क्रम में विदित हुआ है कि विभाग द्वारा SOR 2017–18 की दरों पर धनांक रू0 5,31,229/– का आंगणन तैयार किया गया, जिसमें 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 एवं 1 प्रति0 लेवर सैस का योग सम्मिलित था।

वित्तीय वर्ष 2017–18 की SOR में वैट सम्मिलित होने के कारण 4 प्रतिशत वैट को घटाकर आंगणन तैयार किया जाना था। 4 प्रतिशत वैट न घटाकर उक्त कार्य के हेतु नगर निगम द्वारा रू0 4,39,178/– भुगतान कर दिया गया, जवकि भुगतान रू0 4,22,057/– होना चाहिए था, इस प्रकार रू0 17,120/– का निगम द्वारा अधिक भुगतान कर दिया गया।

अतः वैट को आगणन धनराशि से घटाये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायें अन्यथा इस धनराशि की वापिसी सुनिश्चित की जाये, इसी प्रकार से SOR वित्तीय वर्ष 2017–18 के आधर पर तैयार आगणन से कराये गये अन्य कार्यों में 4 प्रतिशत वैट की कटौती न किये जाने से हुये अधिक भुगतान से सम्बन्धित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

निर्माण विभाग द्वारा तैयार पत्रावलियां में पूर्व में सड़क का निर्माण कार्य किस वर्ष हुआ था का उल्लेख नहीं किया जात, जबकि पूर्व में किसी भी निर्माण विभाग के रोड रजिस्टर में निर्माण के वर्ष का उल्लेख होना चाहिए, जिस से दोबारा सड़क बनाये जाने की स्थिति में पुनः सड़क निर्माण की आवश्यकता का आंकलन सही प्रकार से हो सके।

वार्ड 19 के अन्तर्गत पापड़ा पीर में यादव जी के मकान से छोटे लाल के मकान होते हुये मजिस्द तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सुधार कार्य हेतु रू0 8,19,825/– का आगणन बनाया गया, किन्तु उक्त सड़क का इससे पूर्व कब निर्माण किया गया था। इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आगणन धनराशि से प्रयोग हुये इण्टरलॉकिंग टाइल्स के मूल्य की कटौती भी नहीं की गयी है, इस प्रकार से पूर्व में प्रयुक्त टाइल्सों के पुनः उसी सड़क में प्रयोग किये जाने के सम्भावना बन रही है।

अतः पूर्व में सड़क निर्माण के वर्ष का उल्लेख न करना तथा इण्टरलॉकिंग टाइल्स के मूल्य को आगणन से न घटाने से नगर निगम को आर्थिक क्षति हुई, इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।

7. आपत्ति संख्या–07

सहायक अभियंता (गैराज),

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

I. नगर निगम मथुरा–वृन्दावन में 04 नग डम्पर प्लेशर 4.5 क्यूविक मीटर क्रय हेतु मंडलायुक्त महोदय द्वारा दि0 19.02.18 को स्वीकृति प्रदान की गयी। सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रक्रियागत विलम्ब करते हुए अन्तिम आपूर्ति लगभग ढेड़ साल वाद नगर निगम को प्राप्ति हुयी।

II. नगर निगम मथुरा–वृन्दावन में 02 नग एल.सी.वी. ट्रिपर ट्रक क्रय हेतु मंडलायुक्त महोदय द्वारा दि0 19.02.18 को स्वीकृति प्रदान की गयी। सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रक्रियागत विलम्ब करते हुए अन्तिम आपूर्ति लगभग ढेड़ साल वाद नगर निगम को प्राप्ति हुयी।

III. नगर निगम मथुरा–वृन्दावन में 05 नग हाइड्रोलिक ट्राली क्रय हेतु मंडलायुक्त महोदय द्वारा दि0 19.02.18 को स्वीकृति प्रदान की गयी। सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रक्रियागत विलम्ब करते हुए अन्तिम आपूर्ति लगभग ढेड़ साल वाद नगर निगम को प्राप्ति हुयी।

IV. नगर निगम मथुरा–वृन्दावन में 05 नग मोवइल टायलेट 08 सीटर क्रय हेतु मंडलायुक्त महोदय द्वारा दि0 19.02.18 को स्वीकृति प्रदान की गयी। सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रक्रियागत विलम्ब करते हुए अन्तिम आपूर्ति लगभग ढेड़ साल वाद नगर निगम को प्राप्ति हुयी।

V. नगर निगम मथुरा–वृन्दावन में 250 नग 1.9 क्युविक मीटर आयरन स्टील क्रय हेतु मंडलायुक्त महोदय द्वारा दि0 19.02.18 को स्वीकृति प्रदान की गयी। सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रक्रियागत विलम्ब करते हुए अन्तिम आपूर्ति लगभग ढेड़ साल वाद नगर निगम को प्राप्ति हुयी।

VI. नगर निगम मथुरा–वृन्दावन में 4.5 क्युविक मीटर विन्स आयरन स्टील क्रय हेतु मंडलायुक्त महोदय द्वारा दि0 19.02.18 को स्वीकृति प्रदान की गयी। सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रक्रियागत विलम्ब करते हुए अन्तिम आपूर्ति लगभग ढेड़ साल वाद नगर निगम को प्राप्ति हुयी।

VII. नगर निगम मथुरा–वृन्दावन में 30 नग टिपर सी.एन.जी. क्रय हेतु मंडलायुक्त महोदय द्वारा दि0 19.02.18 को स्वीकृति प्रदान की गयी। सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रक्रियागत विलम्ब करते हुए अन्तिम आपूर्ति लगभग ढेड़ साल वाद नगर निगम को प्राप्ति हुयी।

VIII. नगर निगम मथुरा–वृन्दावन में 04 नग डम्पर प्लेशर 4.5 क्यूविक मीटर क्रय हेतु मंडलायुक्त महोदय द्वारा दि0 19.02.18 को स्वीकृति प्रदान की गयी। सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रक्रियागत विलम्ब करते हुए अन्तिम आपूर्ति लगभग ढेड़ साल वाद नगर निगम को प्राप्ति हुयी।

उपर्युक्त 08 पत्रावलियों के परीक्षण में विभाग द्वारा अनेक कमियां की गयी का विवरण निम्नलिखित है:–

1. अनुबन्ध की प्रतिलिपि पत्रावली में क्यों नही लगायी गयी।
2. Buyer details में विभाग के किसी सक्षम अधिकारी की जगह एक कम्प्यूटर आपरेटर को लगाने का औचित्य स्पष्ट करें।
3. आपूर्ति संयत्र का आगणन में निर्धारित Specification के अनुसार टेक्नीकल जांच रिपोर्ट बिन्दुवार क्यों नही बनायी गयी।
4. आपूर्ति विलम्ब से प्राप्त हुआ। अतः नियमानुसार विलम्ब से आपूर्ति प्राप्त होने के कारण अर्थदण्ड आरोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में लाया जाना था। प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया।

8. आपत्ति संख्या–08

नगर आयुक्त महोदय,

नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा

मथुरा एवं वृन्दावन के पार्किंग ठेकों की सम्परीक्षा।

मूलबजट वित्तीय वर्ष 2019–20 में मद संख्या 140–14–01 पार्किंग शुल्क में रू0 1,40,00,000/– लक्ष्य निर्धारित किया गया। मथुरा क्षेत्र के कुल 14 पार्किंग स्थल के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य 1 करोड़ तथा वृन्दावन क्षेत्र के 8 पार्किंग स्थलों के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य 70 लाख नगर निगम द्वारा निर्धारित है।

अतः पार्किंग शुल्क कुल निर्धारित धनराशि रू0 1,70,00,000/– से कम बजट लक्ष्य रू0 1,40,00,000/– रखे जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में अतिंम रूप से स्वीकृत पार्किंग शुल्क का ठेका 2 करोड़ 80 लाख का था। नगर निगम की वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल ठेका मथुरा क्षेत्र हेतु रू0 90,39,000/– तथा वृन्दावन क्षेत्र हेतु 45,51,000/– का उठाया गया, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 1,35,90,000/– की प्राप्त होने थे, जबकि उक्त ठेका मात्र 7 माह हेतु उठाया गया और नगर निगम के ठेकों को 5 माह विलम्ब से उठाया गया। इन 5 माह में नगर निगम के कार्मिकों द्वारा रू0 11,06,570/– की वसूली की गयी। यदि 7 माह की उक्त ठेके की धनराशि को आधार बनाया जाए तो वित्तीय वर्ष 2019–20 में 5 माह विलम्व से ठेका उठाने के कारण नगर निगम को लगभग 86 लाख की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। पार्किंग ठेको को राजस्व विभाग नियत शर्तो के द्वारा सही ढंग से पर्यवेक्षण न करने के कारण ठेकों की धनराशि रू0 1,35,90,000/– के सापेक्ष मात्र रू0 83,45,000/– नगर निगम कोष में जमा किया गया।

पार्किंग ठेका मथुरा (वर्ष 2019–20) के परीक्षण में निम्न कमिंया पाई गयी :–

(अ) नगर निगम को रू0 90,39,000/– में स्वीकृत की गई निविदा राशि मे से निविदा के निरस्ती दिनांक तक कुल रू0 29,69,500/– प्राप्त नहीं हुये इससे निगम को भारी आर्थिक हानि हुई।

(ब) निविदा शर्तो के अनुसार कुल निविदा राशि के 2 प्रतिशत टी0सी0एस0 शुल्क जो कि रू0 1,80,780/– होता है। ठेकेदार द्वारा नगर निगम को नहीं दिये गये।

(स) निविदा की शर्तो के अनुसार 50 प्रतिशत राशि 3 दिवस में निगम के खाते में जमा होनी चाहिए इस प्रकरण में पहली किस्त रू0 18,75,000/– तथा दूसरी किस्त रू0 26,44,500/– की अलग–अलग दिनांक में जमा की गई।

(द) निविदा की शर्तो के अनुसार निविदा राशि की विभिन्न किस्तों को तय समय पर जमा नहीं किया गया साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा अपने शुरूआती चेतावनी पत्रों में समयबद्ध करना भी सुनिश्चित नहीं किया गया है।

पार्किंग ठेका वृन्दावन (वर्ष 2019–20) के परीक्षण में निम्न कमिंया पाई गयी :–

(अ) निविदा की शर्तो के अनुसार कुल निविदा राशि के 4 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प जिन पर निविदा की शर्ते लिखी जानी थी पत्रावली में सलग्न नही है, इससे सरकार को 1.82 लाख रूपया राजस्व की हानि हुई।

(ब) निगम को रू0 45,51,000/– के सापेक्ष केवल रू0 22,75,500/–प्राप्त हुए इससे निगम को कुल रू0 22,75,500/– की हानि हुई।

(स) निविदा की शर्तो के अनुसार कुल निविदा राशि का 2 प्रतिशत टी0सी0एस0 के रूप जमा करना था वह भी जमा नहीं किया गया है, इससे निगम को कुल रू0 91,020/– की आर्थिक हानि हुई।

(द) निविदा की शर्तो के अनुसार कुल निविदा राशि का 50 प्रतिशत 3 दिवस के अन्दर जमा होना चाहिए था, इस प्रकरण में 25 प्रतिशत (धनराशि 11,37,750/–) दिनांक 11.10.2019 को 25 प्रतिशत धनराशि (11,37,750/–) दिनांक 13.11.2019 को जमा की गई, जिससे एक मुश्त 50 प्रतिशत धनराशि 3 दिवस के अन्दर जमा होनी थी, इसका भी पालन नहीं किया गया है।

(ड़) निविदा की शर्तो के अनुसार जमानत राशि हेतु रू0 5,00,000/– जमा करने थे, सम्बन्धित फर्म द्वारा दिनांक 27.09.2019 को आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक द्वारा बना उक्त राशि का डी0डी0 क्रमांक

500950 दिनांक 27.09.2019 मूल रूप से अभी तक पत्रावली में सलग्न है, इसको अभी तक निगम के खाते में क्यों नहीं जमा कराया गया, इस प्रकरण का सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

पार्किंग ठेका मथुरा एवं वृन्दावन (वर्ष 2018–19) में निविदा की स्वीकृति राशि 2.80 करोड़ के सापेक्ष नगर निगम को केवल 1.4 करोड़ रूपया ही प्राप्त हुए, जिससे निगम ने 1.4 करोड़ की हानि हुई। निविंदा अनुसार निर्धारित 4 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क जो कि स्टाम्प के रूप में लेना था और उन पर ही निविदा की शर्तो को अंकित करना था ये स्टाम्प कुल रू0 11.20 लाख के होते है। पत्रावली में संलग्न नहीं किए गए, जिसके चलते शासन को रू0 11.20 लाख का भारी नुकसान हुआ। कुल निविंदा राशि में से 2 प्रतिशत टी0सी0एस0 के रूप में लेना था वह भी ठेकेदार द्वारा जमा नहीं किया गया, इससे निगम को कुल रू0 5.60 लाख का नुकसान हुआ। इस निविंदा को रू0 1.4 करोड़ बकाया जमा न करने के चलते समाप्त किया गया, इससे सम्बन्धित कोई भी ऑर्डर पत्रावली में संलग्न नहीं है। निविंदा की बकाया राशि को वसूलने और ठेकेदार द्वारा अपनी धनराशि को वापिस करने के लिए आवेदन देने जैसे–विषयों पर विमर्श करने के लिए गठित की गई समिति भी अपनी आख्या में कोई ठोस निर्णय नहीं लेना भी खेद जनक है।

अतः उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि दोनों वित्तीय वर्ष (2018–19 एवं 2019–20) में निगम ठेका धनराशि को सम्बन्धित फर्म से वसूलने में असफल रहा है। दोनों ही बार ठेके तय समय से पहले ही निरस्त किए गए ऐसी पुनरावृत्ति भविष्य में न हो इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि अभी तक राजस्व विभाग द्वारा किए गए प्रयास नाकाफी साबित हुए है, जिसकी वजह से निगम को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी है। पार्किंग शुल्क से सम्बन्धित ठेके वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी चाहिए, जिससे ठेके का संचालन वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से हो सकें। ठेके की शर्तो का अनुपालन ठेकेदार द्वारा पूर्ण रूप से हो सकें, इस हेतु राजस्व विभाग नियमित रूप से पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।

कृपया उपरोक्त तथ्य आपके संज्ञानार्थ प्रेषित है।

उपसंहार

प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 में लेखा परीक्षण द्वारा पत्र तथा आपत्तियों को यथा स्थिति नगर आयुक्त, सम्बन्धित विभागाध्यक्षों एवं प्रभारी अधिकारियों को उनके निस्तारण तथा समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता रहा परन्तु अनुभव में यह आया कि लेखा परीक्षण के आपत्तियों के उत्तर प्रस्तुत करने तथा उनके निराकरण कराने के प्रति सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारी नितान्त उदासीन रहे और इसमें कोई रूचि नहीं दिखायी। लेखा परीक्षण आपत्तियों की संख्या न केवल यथावत बना रही अपितु उसमें उत्तरोंत्तर वृद्धि होती गयी।

उत्तर प्रदेश नगर निगम प्रशासन द्वारा प्रभावशाली कार्यवाही किया जाना आवश्यक है जिससे समस्त विभागों द्वारा लेखा परीक्षण के लिए वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों आदि की उपलब्धि सुनिश्चित हो एवं लेखा परीक्षण कार्य में बाधा न पड़े तथा आय–व्यय के मदों की सम्परीक्षा की जा सके।

अन्त में नगर निगम प्रशासन को आडिट में सहायता के लिए तथा लेखा परीक्षा विभाग के समस्त कर्मचारियों की विभागीय कार्यों में पूर्ण सहयोग के लिए आभार प्रकट किया जाता है। जिन्होंने वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करने में अमूल्य सहयोग दिया।

(मुकेश कुमार भटेले)
लेखा परीक्षक

(संजय प्रताप सिंह)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक